



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072022-237732
CG-DL-E-30072022-237732

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3339]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 28, 2022/श्रावण 6, 1944

No. 3339]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 28, 2022/SHRAVANA 6, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2022

का. आ. 3504(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में मुम्बई- वडोदरा एक्सप्रेसवे स्पर से राष्ट्रीय राजमार्ग -एन एच ४ के कि.मी. 45.400 से कि.मी. 58.820 तक के भू-खण्ड (महाराष्ट्र सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करणे/छह/आठ लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कल्याण विभाग कल्याण, कल्याण को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में ठाणे जिले में मुम्बई- वडोदरा एक्सप्रेसवे स्पर से राष्ट्रीय राजमार्ग -एन एच ४ के कि.मी. 45.400 से कि.मी. 58.820 (महाराष्ट्र सेक्शन) के लिये अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: ठाणे			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: कल्याण					
गांव का नाम: आपटी तर्फे बाहे					
1	11/5	निजी	कृषि	0.1630000(हेक्टेयर)	0.1630000
गांव का नाम: बल्याणी					
1	73/37	निजी	कृषि	0.1770000(हेक्टेयर)	0.1770000
गांव का नाम: मानिवली					
1	20/11	निजी	कृषि	0.1160000(हेक्टेयर)	0.1160000
2	47/1	निजी	कृषि	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
गांव का नाम: रायते					
1	24/1P	निजी	कृषि	0.1300000(हेक्टेयर)	0.1300000
गांव का नाम: सांगोडे					
1	52/6	निजी	कृषि	0.0720000(हेक्टेयर)	0.0720000
2	52/7	निजी	कृषि	0.1350000(हेक्टेयर)	0.1350000
3	59/10	निजी	कृषि	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
गांव का नाम: वाहोली					
1	40/16	निजी	कृषि	0.0233000(हेक्टेयर)	0.0233000
कुल				0.8363	0.8363

[फा. सं. NHAI/PIU/Surat (Expressway)/L12/275/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2022

S. O. 3504(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (here in after referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening Six/Eight laning etc.), maintenance, management and operation of Mumbai-Vadodara Expressway spur to NH-NE4, in the stretch of land from Km. 45.400 to Km. 58.820 (Maharashtra Section) in the district of Thane in the state of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, sub divisional officer in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within in the stretch of land from Km. 45.400 to Km. 58.820 (Maharashtra Section) Mumbai Vadodara Expressway spur to NH-NE4, in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA				District: THANE	
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Kalyan					
Village: Apati Tarf Barhe					
1	11/5	Private	Agricultural	0.1630000(Hectare)	0.1630000
Village: Balyani					
1	73/37	Private	Agricultural	0.1770000(Hectare)	0.1770000
Village: Manivali					
1	20/11	Private	Agricultural	0.1160000(Hectare)	0.1160000
2	47/1	Private	Agricultural	0.0100000(Hectare)	0.0100000
Village: Rayate					
1	24/1P	Private	Agricultural	0.1300000(Hectare)	0.1300000
Village: Sangode					
1	52/6	Private	Agricultural	0.0720000(Hectare)	0.0720000
2	52/7	Private	Agricultural	0.1350000(Hectare)	0.1350000
3	59/10	Private	Agricultural	0.0100000(Hectare)	0.0100000
Village: Vaholi					
1	40/16	Private	Agricultural	0.0233000(Hectare)	0.0233000
Total				0.8363	0.8363

[F. No. NHAI/PIU/Surat (Expressway)/L12/275/3A]

RAJESH GUPTA, Director